भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2213

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 9 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण 1946 (शक) को दिया जाना है।

कर चोरों की पहचान

2213. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कर वंचकों की पहचान करने और करदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक वसूले गए करों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकत्र की गई कर की राशि की तुलना में इस वर्ष के दौरान एकत्र की गई कर की राशि कितनी कम या अधिक है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) तथा (ख): आयकर विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	सर्वेक्षणों की संख्या
2021-22	1046
2022-23	1245
2023-24	737

सरकार ने सेवा वितरण में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें रिटर्न दाखिल करना, भुगतान करना, रिफंड, फेसलेस असेसमेंट और अपील आदि जैसी सेवाओं का डिजिटलीकरण करना शामिल है। करदाताओं को किसी भी किसी भी प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में आयकर सेवा केंद्र और जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। करदाताओं को प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के डिजिटलीकरण के साथ जीएसटी से संबंधित सेवा वितरण में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सीमा शुल्क की ओर से, करदाताओं की सेवाओं में सुधार के लिए कई प्रमुख पहल की गई हैं, जिसमें कूरियर मोड के माध्यम से निर्यात के लाभों का विस्तार, डाक निर्यात के माध्यम से निर्यात के लिए आईजीएसटी रिफंड केंद्र, एआई-आधारित इंटरैक्टिव चैटबॉट के साथ एक नई आइसगेट वेबसाइट का शुभारंभ, विनिमय दर स्वचालन मॉड्यूल की शुरूआत और सीमा शुल्क बॉन्डेड वेयरहाउस प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण शामिल हैं। जिसके लिए समय-समय पर विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

(ग): सकल कर संग्रह (अप्रैल 2024 से नवंबर 2024) पर राज्यवार संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध क के रूप में संलग्न है।

(घ): पिछले तीन वर्षों में एकत्रित कर की तुलना में इस वित्तीय वर्ष (अप्रैल से अक्टूबर) में एकत्रित कर का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहण		
वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक)	**शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहण**	**% वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)**
2021-22	655,072.81	75%
2022-23	822,169.68	25.5%
2023-24[पी]	1,019,017.99	23.9%
2024-25[पी]	1,143,863.44	12.2%

(रूपये करोड़ में)

कुल शुद्ध केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर [जीएसटी + गैर-जीएसटी]		
वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक)	**अवधि के लिए राजस्व संग्रहण**	**% वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)**
2021-22	7,48,831	36.2%
2022-23	8,09,685	8.1%
2023-24 [पी]	8,36,424	3.3%
2024-25 [पी]	9,07,856	8.5%

*****

अनुलग्नक 'क'

सकल कर संग्रहण पर राज्यवार संक्षिप्त ब्यौरा (अप्रैल से नवंबर 2024 (करोड़ रुपये में)			
राज्य कोड	राज्य	जीएसटी संग्रहण	प्रत्यक्ष कर संग्रहण
1	जम्मू और कश्मीर	4,861	2,536.15
2	हिमाचल प्रदेश	7,021	2,585.42
3	पंजाब	17,769	15,145.41
4	चंडीगढ़	1,944	3,456.92
5	उत्तराखंड	14,070	9,978.9
6	हरियाणा	78,102	58,576.99
7	दिल्ली	52,980	1,57,507.14
8	राजस्थान	35,436	26,322.64
9	उत्तर प्रदेश	75,468	43,837.15
10	बिहार	12,760	6,288.9
11	सिक्किम	2,696	255.48
12	अरुणाचल प्रदेश	765	222.61
१३	नगालैंड	426	234.52
14	मणिपुर	490	416.21
15	मिजोरम	361	78.12
16	त्रिपुरा	747	363.99
17	मेघालय	1,344	1,521.23
18	असम	11,417	5,501.61
19	पश्चिम बंगाल	44,246	44,602.37
20	झारखंड	23,905	8,712.37
21	ओडिशा	39,612	17,810.22
22	छत्तीसगढ	24,119	9,187.62
23	मध्य प्रदेश	29,438	16,167.62
24	गुजरात	90,838	73,211.18
25	दमन और दीव	1	288.02
26	दादरा और नगर हवेली	2,896	386.05
27	महाराष्ट्र	2,36,089	6,05,435.85
29	कर्नाटक	1,05,070	1,89,425.83
30	गोवा	4,592	3,063.42
३१	लक्षद्वीप	14	21.55
32	केरल	21,822	20,224.78
33	तमिलनाडु	86,173	94,304.22
34	पुदुचेरी	1,893	978.33
35	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	287	98.88
36	तेलंगाना	41,065	68,091.11
37	आंध्र प्रदेश	30,056	19,267.7
38	लद्दाख	345	1.4
97	अन्य क्षेत्र	1,645	-
99	केंद्र का अधिकार क्षेत्र	2,054	-
	विदेश	-	38,479.5
	असंबद्ध	-	30.6
	जीएसटी संग्रह (घरेलू)- 11,04,817		
	आयात	3,51,893	
	सकल संग्रहण- 14,56,710		**15,44,617.99**